भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 923

08 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए नियत

ऑटोमोबाइल उद्योग का कारोबार

923. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगामी पांच वर्षों में ऑटोमोबाइल उद्योग का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने हेतु कोई कार्य-स्कीम तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इलेक्ट्रिक वाहनों में इथेनॉल, फ्लेक्स इंजन, सीएनजी, एलएनजी हरित हाइड्रोजन उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): महोदय, एक नीति निर्माता के रूप में सरकार उद्योग के व्यापक और निरंतर विकास के लिए उपायों के एक पैकेज के माध्यम से अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने और उसमें सुधार के प्रयास करती है। हाल ही में, ऑटो सेक्टर की सहायता के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है:

i. सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए पांच वर्ष की अवधि में 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी है।

ii. सरकार ने बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के निर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी है। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी और उनकी बिक्री में वृद्धि होगी।

iii. पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा।

iv. थोक और खुदरा व्यापार तथा वाहनों की मरम्मत को एमएसएमई विकास अधिनियम के दायरे में लाया गया।

v. बजट 2021-22 में, कुल 18,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से सार्वजनिक परिवहन बस सेवाओं के विस्तार में सहयोग के लिए एक स्कीम की घोषणा की गई है।

(ग): महोदय, सरकार ने इथेनॉल, फ्लेक्स इंजन, सीएनजी, एलपीजी, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. फ्लेक्स ईंधन इंजन और उसके घटकों के लिए ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई स्कीम के तहत प्रोत्साहन।

ii. सीएनजी और एलपीजी पुर्जों और घटकों हेतु ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई स्कीम के तहत प्रोत्साहन।

iii. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों और उनके घटकों के लिए ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए पीएलआई स्कीम के तहत प्रोत्साहन।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2015 से भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम इंडिया) स्कीम।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।

iii. इलेक्ट्रिक वाहन ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत कवर किए गए हैं, जिसे 15 सितंबर 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से अनुमोदित किया गया है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

*****